भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1499

(दिनांक 04.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

दृश्य मीडिया द्वारा स्वामित्व को बदलना

1499. प्रो. सौगत राय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात पर गया है कि कुछ दृश्य मीडिया नियमों का पालन किए बिना अपना स्वामित्व बदल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मलयालम चैनल रिपोर्टर टीवी ने अपने स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में मौजूदा नियमों का पालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान अपने स्वामित्व में परिवर्तन करने वाले दृश्य चैनलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2022, में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान हैं कि अनुमति प्रदत्त टीवी चैनलों के स्वामित्व/अधिग्रहण में परिवर्तन निम्नलिखित तरह से किया जा सकता है:

i. शेयरधारिता पैटर्न (एसएचपी) में परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर दी जाएगी (खंड 29) और;
ii. मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से ही अनुमति हस्तांतरण (खंड 32) के माध्यम से ।

यदि ये दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं तो दंडात्मक प्रावधानों में अनुमति का निलंबन/निरसन शामिल है। उचित प्रक्रियाओं/दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना स्वामित्व/अधिग्रहण में परिवर्तन का ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ख) टीवी चैनल नामत: 'रिपोर्टर' के संबंध में एसएचपी में परिवर्तन की सूचना प्राप्त हुई। जांच करने पर पाया गया कि उक्त परिवर्तन के लिए मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, तदनुसार सलाह दी गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वामित्व/अधिग्रहण बदलने वाले टीवी चैनलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ग	भाषा				
	हिन्दी	अन्य अनुसूचित भाषाएँ	हिंदी और अंग्रेजी	अंग्रेज़ी	कुल
गैर-समाचार	4	70	7	2	83
समाचार	5	18	1	-	24
कुल					107

*****